राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 2231 / 2016

.... जिला : जोधपुर..........

मैसर्स जोधपुर ट्रक्स प्रा.लि.जोधपुर बनाम सहायक आयुक्त,वाणिज्यिक कर,विशेष वृत–द्वितीय,जोधपुर **एवं अपीलीय प्राधिकारी,वाणज्यिक कर, जोधपुर**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

02.11.2016

अपीलार्थी की ओर से श्री पी.एम.चोपडा, अभिभाषक एव विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा उपस्थित।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी''कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2016, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम ,2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें सहायक आयुक्त,वाणिज्यिक कर,विशेष वृत–द्वितीय,जोधपुर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 का संशोधित ब्याज आदेश दिनांक 18.07..2016 को पारित कर रू. 5,87,122/–की मांग सृजित की है, में से रू. 5,49,486/– पर रोक लगाने हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने इनकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए उक्त मांग राशि रू. 5,49,486/–की वसूली स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2011–12 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.02.2014 को पारित किया गया था। कर निर्धारण के के पश्चात व्यवहारी द्वारा वर्ष 2012–13 हेतु प्रस्तुत वैट–10ए का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्ष 2011–12 में व्यवहारी द्वारा 14 प्रतिशत कर योग्य माल शून्य घोषित किया गया है। व्यवहारी द्वारा वर्ष 2012–13 में 14 प्रतिशत कर योग्य खरीद रू. 5277215/–दर्शायी है एवं बिक्री रू. 2606447/–दर्शायी है एवं वर्ष 2012–13 में 14 प्रतिशत कर योग्य माल का closing stock शून्य घोषित किया गया है, इस प्रकार रू. 2670768/–की बिक्री कम दर्शाने के कारण इस राशि पर कर रू. 376360/–एवं ब्याज रू. 210762/–आरोपित किया जाकर कुल रू. 258122/–की मांग सृजित की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गई मांग राशि की वसूली पर रोक लगाने से इन्कार करने संबंध में किसी प्रकार के कारणों का आदेश में अंकन नहीं किया है। इसलिए उनके द्वारा सृजित मांग राशि बाबत प्रकरण व सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट करते हुए उक्त मांग वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी तथा अन्यथा स्थिति में अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क भी दिया गया।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए सुविधा सन्तुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक सम्बन्धी प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षीय की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन किया गया । आदेशों के अवलोकन पर ज्ञात होता है कि